

Registration no: (21211512021827203110) Date: (0) Valid till: (0)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | KATIHAR
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक

RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIR KATIHAR
RK Mission Road, Katihar, Bihar

विषय :- वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्त्रीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 27-08-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्रावार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय विस्तरस्यीय समिति के बैठक दिनांक :0 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIR KATIHAR , RK Mission Road, Katihar, Bihar, katihar, 854105 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 0 से 27-8-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्त्रीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्त्रीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्त्रीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा दिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में वच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत वच्चों ला नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर दर्द एवं अलाभकारी समूह के वच्चों का लगेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत वच्चों के मामते में विद्यालय को वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी वच्चा उसके मात्रान्वित या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी वच्चे के नामांकन से उसके उपर प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

- (i) किसी भी नामांकित वच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित वच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी वच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी वच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के दोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक वच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग वच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संतप्त नहीं होंगे।
8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

- (I) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 83368QM डिरामिल
- (II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 83368QM डिरामिल
- (III) खेल के मैदान के क्षेत्र :- TWO PLAY GROUNDS, CLASSES, SMART CLASSES, SCHOOL BUILDINGS.
- (IV) पार्क कक्षों की कुल संख्या :- 43
- (V) प्रधानाध्यापक-राह कार्यालय राह-भौदार कक्ष :- 6
- (VI) वालक तथा बालिकाओं के लिये जलग-जलग शौचालय :- Indian , Boys :- 15 , Girls 5
- (VII) पेयजल की सुविधा :- 11
- (VIII) गम्भीर भोजन के लिये रसोई घर :- 0
- (IX) बाधारहित पहुँच, [] :-
- (X) शिक्षण अधिनियम रामबी/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- CHALK ,DUSTER, MARKER, MAP, SMART CLASS, ETC , CRICKET, FOOTBALL, VOLLYBALL, CHESS, TABLE TENNIS, BUSKET BALL ETC , (Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 500)

11. कोई भी अप्रसीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपायोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में सागू फानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के रांग अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साम के लिए संचालित नहीं होगा।

15. सेखा का अकेलक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अलोक में उपर्युक्त सेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।


16. आपके विद्यालय को आदर्शित प्रस्तीकृति कोड संख्या [21211512021827203110, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "मौंग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार स्तर से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्धारण के नवीकरण की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसारक III के स्तर में रालग्र अन्य शर्तें


विद्यालय
ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, KATIHAR
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार


20.6.22